

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 38]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 जनवरी 2019—माघ 8, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक एफ ए ३-५०/२०१६/१/पांच (०३) यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्र. 20 सन 2002) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त नियम में,

- नियम 54 में, उप नियम (1) में, परंतुक में, खण्ड (दस) के पश्चात्, निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जाए, अर्थातः—

"(नयारह) वर्ष 2017-2018 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट किसी विलंब शुल्क के बिना 15 फरवरी, 2019 तक प्रस्तुत की जा सकेगी।"

- नियम 23 में, उप नियम (1) में, खण्ड (दो) में दिए गए परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाए, अर्थातः—

"परंतु, रजिस्टीकृत व्यापारी जिनका वार्षिक सकल विक्रय 1 करोड़ रुपए से अधिक है, द्वारा वर्ष 2017-2018 की पुनरीक्षित विवरणी 15 फरवरी, 2019 तक प्रस्तुत की जा सकेगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2019

क्रमांक एफ ए-3-50-2006-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-50-2016-1-पांच, (03) दिनांक 28 जनवरी 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 28th January 2019

F A 3-50/2016/1/V (03) : WHEREAS, the State Government considers it necessary that the following amendment in the Madhya Pradesh VAT Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:-

AMENDMENTS

In the said rules,-

1. In the rule 54, in sub-rule (1), in the proviso, after clause (x), the following new clause shall be added, namely:-

"(xi) the audit report pertaining to the year 2017-2018 can be furnished up to 15th February, 2019 without a late fee.";

2. In clause (ii) of sub-rule (1), in the rule 23, after the given proviso shall be added, namely:-

"Provided that, the revised return pertaining to the year 2017-2018 can be furnished up to 15th February, 2019, by a dealer having annual turnover exceeding rupees one crore."

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.